केन्द्रीय जल आयोग ने नदी घाटी परियोजनाओं में लगे अधिक समय और लागत का प्रायोगिक अध्ययन किया है और मार्च, 1992 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है । इस समाचार मद में दिये गये आंकड़े करोड़ रुपये में हैं, जबकि वास्तव में ये लाख रुपये में होने चाहिये थे । इस रिपोर्ट में अभिज्ञात किये गये तथ्य, जिनसे अधिक लागत आती है और अधिक समय लगता है निम्नवत है :

1. निर्माण के दौरान मूल्यों में बढ़ोत्तरी ।

2. व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये सीमित जांच तथा क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र एवं डिजाइन में बाद में परिवर्तन ।

3. अन्य संरचना सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के आदि के लिये मूल अनुमान में लगभग एक मुश्त प्रावधान जो बाद में पर्याप्त पाये गये ।

4. पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने, भूमि अधिग्रहण में विलंब होने तथा इनके कारण परियोजनाओं के पूरा होने में हुआ विलंब ।

5. श्रमिक समस्या, ठेके संबंधी समस्याओं, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में लोगों का विरोध, विस्थापितों द्वारा प्रदर्शन तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे अन्य कारण ।

औसतन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में क्रमशः लगभग 10–15 वर्ष तथा 5 वर्ष लग सकते है । इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शुरू की गयी वृहद परियोजनायें तथा वर्ष 1979–80 तक शुरू की गयी मध्यम परियोजनायें कार्यक्रम से 5 वर्ष से अधिक पिछड़ी हुई मानी जा सकती हैं । इस मानदंड के अनुसार 48 वृहद और 153 मध्यम परियोजनायें कार्यक्रम से 5 वर्ष से अधिक पीछे चल रही हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों को मकानों का आवंटन

*346. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के आवंटन के लिये लंबित सभी पंजीकरणों को निपटाने के लिये 31 मार्च, 1997 तक की अवधि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास मकानों के आवंटन के लिये 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत थे ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1997 तक, प्रत्येक वर्ष कितने-कितने पंजीकृत व्यक्तियों को मकान दे दिये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यू पैटर्न स्कीम, 1979; स्व वित्त-पोषित स्कीमों और अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1992 को शेष सभी 86531 पंजीकृत व्यक्तियों को मकान देने के लिये 31 मार्च, 1997 को लक्षित तिथि नियत की है ।

(ग) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को मकान देने का वर्ष-वार लक्ष्य इस प्रकार है:–

वर्ष	शेष पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें मकान दिये जायेंगे
1992–93	8,424
1993–94	13,487
1994–95	18,314
1995–96	21,306
1996–97	25,000